



भारत में वित्तीय समावेशन में सहकारी समितियों की भूमिका का अध्ययन

डॉ. मुकेश कुमार¹, पवन कुमार सिंह²

1. असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट।
2. असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान), सावित्री बाई फुले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चकिया, चंदौली।

(Corresponding Author: mukeshkumaralld@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21624757>

सारांश

भारत में, सह-स्वामित्व वाले सहकारी संगठन कम आय वाले समुदायों के लिए एक लगातार चुनौती, वित्तीय बहिष्कार का एक अनूठा समाधान प्रदान करते हैं। पारंपरिक लाभ-संचालित संस्थानों के विपरीत, सहकारी संगठन सामाजिक प्रभाव और वित्तीय व्यवहार्यता को प्राथमिकता देते हैं, सस्ती सेवाओं, अनुरूप पेशकशों, सामुदायिक निर्माण और वित्तीय साक्षरता शिक्षा के माध्यम से कमियों को पूरा करते हैं। यह अध्ययन वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सहकारी संगठनों की बहुआयामी भूमिका की जांच करता है, जिसमें ग्रामीण आबादी, महिलाओं और शहरी गरीबों सहित हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाने में उनके योगदान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह शोध उनके सामाजिक-आर्थिक लाभों पर प्रकाश डालता है, जैसे गरीबी उन्मूलन, उद्यमिता और न्यायसंगत धन वितरण, जबकि शासन के मुद्दों, वित्तीय कुप्रबंधन और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का भी समाधान करता है। द्वितीयक डेटा के गुणात्मक विश्लेषण के माध्यम से, यह अध्ययन यह पता लगाता है कि सहायक नियम और तकनीकी नवाचार उनकी प्रभावशीलता को कैसे बढ़ा सकते हैं। यह अध्ययन सहकारिता की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए मजबूत शासन, साझेदारी और डिजिटल प्रगति की आवश्यकता पर जोर देती है। अंततः ये निष्कर्ष एक मजबूत सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं, जो भारत में समावेशी विकास और सतत विकास प्राप्त करने में सहकारी संगठनों को महत्वपूर्ण उपकरणों के रूप में स्थापित करता है।

अलेख सूचना	प्राप्त: 19 जनवरी, 2026	स्वीकृत: 11 फरवरी, 2026	प्रकाशित: 31 मार्च, 2026
	सारणी: 00	चित्र एवं ग्राफ: 00	स्रोत एवं संदर्भ: 16
	मुख्य शब्द: सहकारिता, वित्तीय समावेशन, वित्तीय सेवाएं, समावेशी विकास, ग्रामीण विकास।		

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि: सहकारिता एक खास तरह के संगठन होते हैं जिन्हें ऐसे लोग बनाते हैं, जो अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। इन स्वैच्छिक समूहों के सदस्यों की इस बात में आवाज होती है कि सहकारिता कैसे चलाया जाएगा, क्योंकि इसका प्रशासन लोकतांत्रिक तरीके से होता है। सहकारिता का मालिकाना हक इसके सदस्यों के पास संयुक्त रूप से होता है, जो इसे सामान्य निगमों से अलग बनाता है। इस संगठन की मदद से, वे अपने लक्ष्यों और आपसी समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। भारत में सहकारी आंदोलन 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ था ताकि शोषण करने वाले साहूकारों और जमींदारों के कारण होने वाली ग्रामीण परेशानियों को खत्म किया जा सके। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने 1904 में सहकारी क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट लागू करके एक बड़ा कदम उठाया, जिसने भारत के ग्रामीण इलाकों में सहकारी क्रेडिट सोसाइटियों के गठन की अनुमति दी। इसने भारत के औपचारिक सहकारी आंदोलन की नींव रखी। 1912 के सहकारी सोसाइटी एक्ट ने सहकारिता गतिविधियों को कृषि और भंडारण जैसे गैर-क्रेडिट क्षेत्रों तक और बढ़ाया। 1947 में आजादी के बाद, जवाहरलाल नेहरू के साथ, सहकारिता सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हो गए। उन्हें भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया गया। हरित क्रांति के दौरान, सहकारी समितियों ने किसानों को क्रेडिट, बीज और उर्वरक प्रदान किए, जिससे कृषि विकास में योगदान मिला। डेयरी सहकारी समितियों, विशेष रूप से भारत के गुजरात राज्य में अमूल सहकारी समिति ने “श्वेत क्रांति” में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20वीं सदी के अंत तक, सहकारी समितियों ने डेयरी, चीनी, कपड़ा और मत्स्य पालन जैसे विभिन्न

क्षेत्रों में विविधता लाई। हालांकि, उन्हें शासन, राजनीतिक हस्तक्षेप और वित्तीय कुप्रबंधन से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे भारत सरकार और राज्य सरकारों को सुधार लागू करने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें 2002 का बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम शामिल है।

आज, भारतीय सहकारी समितियां प्रौद्योगिकी और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए आधुनिक चुनौतियों के अनुकूल हो रही हैं, जो देश के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में उनके स्थायी महत्व को रेखांकित करता है। सहकारी समितियां कम सेवा वाले समुदायों तक वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक अनूठा समाधान प्रदान करती हैं। पारंपरिक लाभ-संचालित संस्थानों के विपरीत, सहकारी समितियों का स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से उनके सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में सहकारी समितियां वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, व्यक्तियों को सशक्त बनाती हैं और वित्तीय बाजार प्रतिभागियों के लिए व्यावसायिक अवसर प्रदान करती हैं (सिद्धाराजू, वी. 2012)। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि, सहकारी समितियां भारत में वित्तीय समावेशन और व्यापक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे गरीब किसानों, ग्रामीण गैर-कृषि उद्यमों और अन्य कमजोर समूहों की रहने की स्थिति में सुधार होता है (लक्ष्मी, पी., और विशालाक्षी, एस. 2013)।

2.2. भारत में सहकारी समितियों का विकास : भारत में एक बड़ी चुनौती यह है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर है। यह “वित्तीय बहिष्कार” उन्हें आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच से वंचित करता है, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता में बाधा आती है। इस अंतर को पाटने के लिए, “वित्तीय समावेशन” की अवधारणा उभरी है। इस पहल का उद्देश्य बिना बैंक वाले लोगों को औपचारिक बैंकिंग के फायदों के बारे में शिक्षित करना है, जैसे सुरक्षित बचत, निवेश और आपातकालीन ऋण, सुविधाजनक भुगतान विकल्प और वित्तीय प्रबंधन उपकरण। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देकर, भारत अपने नागरिकों को सशक्त बना सकता है और उनकी पूरी आर्थिक क्षमता को उजागर कर सकता है। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को महत्वपूर्ण वित्तीय साधनों तक पहुंच प्राप्त हो। इसमें सुरक्षित रूप से पैसे बचाना, निवेश या आपात स्थिति के लिए उधार लेना, कुशलता से भुगतान करना और प्राप्त करना, और बीमा के माध्यम से खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखना शामिल है। इन सेवाओं को प्रदान करके, वित्तीय समावेशन लोगों और कंपनियों को अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से शामिल होने की अनुमति देता है। वित्तीय समावेशन वैश्विक आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन 2050 तक आर्थिक विकास और समानता में संभावित लाभ और जोखिमों के साथ योगदान दे सकता है। अब, कपूर, ए. (2014) की भविष्यवाणी सफल होने जा रही है और वित्तीय समावेशन कम शिक्षा और वित्तीय साक्षरता वाले संभावित ग्राहकों के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान करके, सबसे कम विकसित और विकासशील देशों में स्थायी विकास को बढ़ावा देकर स्थायी विकास के लिए एक उपकरण बन गया है।

2.1. वित्तीय समावेशन: सहकारी समितियों के माध्यम से वित्तीय समावेशन ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से महिलाओं, अल्पसंख्यक समूहों, बच्चों और प्राकृतिक और कृत्रिम आपदाओं के कारण गरीबी रेखा से नीचे धकेले गए लोगों के विकास में (लाल, टी. 2019)। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है, खासकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में। सहकारी समितियां वित्तीय सेवाओं, सामाजिक पूंजी और लोकतांत्रिक स्वामित्व के अनूठे मिश्रण की पेशकश करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शक्तिशाली उपकरणों के रूप में उभरी हैं। यह अध्ययन समुदायों को सशक्त बनाने और समावेशी वित्तीय प्रणालियों को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों द्वारा निर्माई जाने वाली बहुआयामी भूमिका की पड़ताल करता है। यह शोध इस बात की पड़ताल करता है कि सहकारी समितियां आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच कैसे प्रदान करती हैं, सामाजिक पूंजी और सदस्य स्वामित्व को बढ़ावा देती हैं, ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाती हैं, स्थानीय क्षमता और वित्तीय साक्षरता का निर्माण करती हैं और पहुंच के लिए तकनीकी नवाचार का लाभ उठाती हैं। इसके अतिरिक्त, यह समीक्षा सहकारी समितियों को वित्तीय समावेशन को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने में सक्षम बनाने के लिए सहायक नियामक ढाँचे के महत्व की जाँच करती है।

2.3. अध्ययन के उद्देश्य : अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1. वित्तीय समावेशन पर सहकारी समितियों के प्रभाव की जाँच करना।
2. सहकारी-संचालित वित्तीय समावेशन के सामाजिक-आर्थिक लाभों का विश्लेषण करना।
3. वित्तीय समावेशन के विस्तार में सहकारी समितियों के लिए चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना।
4. सहकारी समितियों द्वारा वित्तीय समावेशन को प्रभावी और सक्षम बनाने के नियामक ढाँचे की जाँच करना।

3. साहित्य की समीक्षा : चिन्मय नायडू (2025) ने आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के मुख्य चालक के रूप में वित्तीय समावेशन पर प्रकाश डाला है, जो हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने, वित्तीय साक्षरता में असमानताओं को दूर करने, ग्रामीण भारत में बैंकिंग पहुंच की चुनौतियों पर काबू पाने और समावेशी वित्तीय विकास को बढ़ाने के

लिए डिजिटल बैंकिंग, संस्थागत ढांचे और नीति-संचालित पहलों की वकालत करने में इसकी भूमिका पर जोर देते हैं। गुप्ता और शर्मा (2024) के अनुसार, वित्तीय समावेशन स्थायी आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख चालक रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां छोटे और सीमांत किसान वित्तीय सहायता के लिए सहकारी समितियों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। सहकारी समितियां वित्त तक पहुंच में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में कॉर्पोरेट प्रशासन में वृद्धि होती है। यह साहित्य सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सहकारी रणनीतियों से जुड़े महत्वपूर्ण लाभों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करता है।

ऑल्टमैन (2009, 2014) के अनुसार, सहकारी समितियां सदस्यों की आय बढ़ा सकती हैं और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकती हैं। हालांकि, एसेजा और न्याकुंडी (2023) के शोध में सहकारी समितियों के वैश्विक इतिहास और प्रभाव का पता लगाया गया है। यह पेपर अमेरिका में उनकी उत्पत्ति और भारत और अफ्रीका जैसे अन्य देशों में उनके प्रसार का पता लगाता है। लेखक उनकी सफलता के कारणों के रूप में गठन में आसानी, मजबूत शासन और सदस्य एकता जैसे कारकों पर प्रकाश डालते हैं। वे विकासशील देशों, विशेष रूप से अफ्रीका में महिलाओं को सशक्त बनाने में सहकारी समितियों की भूमिका पर जोर देते हैं, जहां वे आर्थिक विकास और वित्तीय स्वतंत्रता में योगदान करती हैं। यह अध्ययन धोखाधड़ी, निरक्षरता और सीमित ऋण आकार जैसी चुनौतियों को स्वीकार करता है, लेकिन शिक्षा, प्रदर्शन निगरानी और सरकारी सहायता के माध्यम से समाधान प्रस्तावित करता है। कुल मिलाकर, शोध एक अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ विकास के निर्माण के लिए सहकारी समितियों को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उजागर करता है। हालांकि, सेक्सटन और इस्कोव (1993) एक विस्तृत अध्ययन दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जो इंगित करता है कि निवेशक-स्वामित्व वाले संगठनों की तुलना में सहकारी उद्यम अक्षम हो सकते हैं। उनके अध्ययन के निष्कर्ष सहकारी परिचालन प्रदर्शन की बारीकियों और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए इसके परिणामों पर जोर देते हैं।

रिबास एट अल (2022) ने सहकारी कार्यों और लक्ष्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला। दिलचस्प बात यह है कि इन सहकारी समूहों ने कोविड-19 महामारी जैसी बड़ी आपदाओं के सामने लचीलेपन की भी जांच की है (डेव, 2021)। यह अध्ययन एक स्थायी और लचीले समाज और पर्यावरण में उनके संभावित योगदान का भी समर्थन करता है। खास तौर पर, सहकारी बैंकों को समाज के वंचित और कम आय वाले ग्रुप तक पहुंचने के एक साधन के रूप में देखा गया है (टो और गंगाधरन, 2016), साथ ही समावेशी विकास और ग्रामीण विकास के लिए व्यवहार्य समाधान के रूप में भी (नायक, 2012)। त्रिपाठी (2013) शहरी आर्थिक विकास और शहरी असमानता के बीच संबंध की जांच करते हैं, शहरी सेटिंग्स में समावेशी समाधानों की आवश्यकता पर जोर देते हैं। जिम्बाब्वे के आर्थिक संघर्षों ने कई लोगों को बैंकों तक पहुंच से वंचित कर दिया। एसएसीसीओएस बचत और ऋण सहकारी समितियाँ, मदद कर सकती हैं, लेकिन पसारा एट अल. (2021) के इस अध्ययन में चुनौतियाँ पाई गईं। लोग अक्सर सहकारिता को बचत और ऋण सहकारी संगठन (एसएसीसीओ) के साथ भ्रमित करते हैं, और पिछली आर्थिक अस्थिरता ने बचत में विश्वास को कम कर दिया (90 प्रतिशत से अधिक लोग हिचकिचाते हैं)। कई एसएसीसीओ के पास असंगत भागीदारी और पुराने नियमों के कारण संपत्ति या एक बड़ा सदस्यता आधार भी नहीं है। सिद्दाराजू (2012) का अध्ययन भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की भूमिका की जांच करता है। सहकारी समितियाँ, जो सदस्य-स्वामित्व वाले और नियंत्रित व्यवसाय हैं, को समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में देखा जाता है। वित्तीय समावेशन के प्रयास लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त और व्यवसाय बनाते हैं।

बसाक (2015) का यह अध्ययन पश्चिम बंगाल, भारत के हावड़ा जिले में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और गैर-कृषि सहकारी ऋण समितियों (एनएसीसीएस) की भूमिका की जांच करता है। वित्तीय समावेशन समान आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है और इसमें वंचित समुदायों, विशेष रूप से कम आय वाले समूहों को सस्ती बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना शामिल है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कई लोगों के पास इन सेवाओं तक पहुंच नहीं है, जिसमें बचत खाते और मनी ट्रांसफर शामिल हैं। बसाक का शोध इस बात की पड़ताल करता है कि यूसीबी और एनएसीसीएस इस अंतर को कैसे पाट सकते हैं और गरीबों और वंचितों के लिए वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियां कैसे बना सकते हैं। मोहिते (2008) का तर्क है कि वित्तीय समावेशन, कम आय वाले समूहों को सस्ती बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना आदि महत्वपूर्ण है। भारत में, जो 1 अरब से अधिक लोगों वाला देश है, कई छोटे किसानों और परिवारों के पास संस्थागत ऋण तक पहुंच नहीं है। यह पेपर सहकारी बैंकों की क्षमता पर प्रकाश डालता है, जिन्हें "छोटे लोगों के बैंक" के रूप में जाना जाता है, जो इस अंतर को पाटने और भारत में अधिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। सहकारी बैंकों को वंचित समुदायों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने में एक रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में देखा जाता है।

3.1. शोध अंतराल: मौजूदा रिसर्च की इस व्यापक समीक्षा ने प्रमुख रिसर्च सवालों और हमारी मौजूदा समझ में कमियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कमियाँ और सवाल मौजूदा अध्ययन के उद्देश्यों का आधार बनते हैं। पिछले रिसर्च का आलोचनात्मक विश्लेषण करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा अध्ययन उन क्षेत्रों पर ध्यान दे जहाँ ज्ञान सीमित है और मौजूदा काम में सार्थक योगदान देता है। यह पाया गया है कि अधिकांश पेपर इस बात पर जोर देते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों में सहकारिता, नई बैंकिंग नीतियों के अनुसार, वंचित और कम आय वाले समूहों को किरायायती बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ पेपरों ने यह भी बताया कि सहकारिता व्यवसाय, बचत और ऋण सहकारिता जैसी वित्तीय समावेशन रणनीतियों के माध्यम से, विकासशील देशों में गरीबी को कम करके सामुदायिक कल्याण में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संबंध में, यह अध्ययन वित्तीय समावेशन के लिए सहकारिता की भूमिका को समझाकर निम्नलिखित शोध कमियों को पुरा करने का एक प्रयास है,

- ❖ वित्तीय समावेशन में सहकारी बैंकों की भूमिका का अध्ययन करने की आवश्यकता है।
- ❖ भारत में सहकारी भागीदारी और वित्तीय समावेशन की सीमाओं का मूल्यांकन।
- ❖ सहकारिता के माध्यम से विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर वर्ग के वित्तीय शिक्षा का महत्व।
- ❖ भारत में सहकारिता के लिए कानूनी ढांचा और लघुवित्त गवर्नेंस संरचना में सहकारी साहित्य का अभाव होना।

4. शोध प्रविधि : यह अध्ययन एक गुणात्मक रिसर्च दृष्टिकोण अपनाता है, जो विशेष रूप से अकादमिक पत्रिकाओं, सरकारी रिपोर्टों और उद्योग प्रकाशनों से प्राप्त द्वितीयक डेटा पर निर्भर करता है। शोध अध्ययन में भारत में वित्तीय समावेशन में सहकारिता की भूमिका का पता लगाने के लिए मौजूदा साहित्य की व्यापक समीक्षा शामिल है। पिछले अध्ययनों से पैटर्न, रुझान और अंतर्दृष्टि का विश्लेषण करके, रिसर्च सहकारिता से जुड़े सामाजिक-आर्थिक लाभों, चुनौतियों और अवसरों की जांच करता है। यह मात्रात्मक विश्लेषण के बिना एक व्यापक समझ प्रदान करने के लिए जानकारी को संश्लेषित करने पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण वित्तीय समावेशन में सहकारिता के बहुआयामी योगदान पर चर्चा करने के लिए एक संपूर्ण वैचारिक ढांचा सुनिश्चित करता है।

5. सहकारिता द्वारा वित्तीय पहुंच और समावेशन के मध्यांतर को कम करना : वित्तीय समावेशन, यह सुनिश्चित करना कि सभी को आवश्यक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच हो, एक वैश्विक चुनौती बनी हुई है। पारंपरिक वित्तीय संस्थान अक्सर उच्च परिचालन लागत और सख्त पात्रता आवश्यकताओं के कारण कम सेवा वाले समुदायों की अनदेखी करते हैं। हालांकि, सहकारी बैंक वंचित और कम आय वाले गुप्स को किरायायती बैंकिंग सेवाएं देकर वित्तीय समावेशन में अहम भूमिका निभाते हैं (कविता, ऐपी. 2022)। यहीं पर सहकारी समितियाँ आगे आती हैं, जो वित्तीय समावेशन के लिए एक अनोखा और असरदार तरीका पेश करते हैं।

5.1. सभी के लिए पहुंच: सहकारिता, जो सदस्यों के स्वामित्व वाले संस्थान हैं और पारंपरिक बैंकों की तुलना में कम सदस्यता शुल्क और न्यूनतम जमा राशि लेते हैं, वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जेम्स (2017) द्वारा बताए गए इस पहुंच के फायदे से वे उन हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा कर पाते हैं जिन्हें अक्सर मुख्यधारा की वित्तीय सेवाओं से बाहर रखा जाता है। मुनाफे पर चलने वाले संस्थानों के विपरीत, सहकारिता सदस्यों की जरूरतों और सामाजिक प्रभाव को प्राथमिकता देते हैं, और स्थानीय शाखाएं समुदायों के साथ करीबी रिश्ते बनाती हैं, जैसा कि राजेश चक्रवर्ती (2011) ने बताया है। यह अनोखा मॉडल असरदार वित्तीय समावेशन के जरिए व्यक्तियों और समुदायों को वित्तीय सुरक्षा और समान विकास की ओर सशक्त बनाता है। इक्वाडोर जैसे विकासशील देशों में सहकारिता ने लघुवित्त सेवाएं प्रदान करके, बहिष्कार को कम करके, और समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित सामुदायिक विकास को बढ़ावा देकर वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है (ए.एम. मोरेल्स, एट. अल. 2021)।

वित्तीय समावेशन हासिल करने के लिए, सहकारिता फाइनेंसिंग जरूरी है, खासकर वंचित ग्रामीण आबादी के लिए। यह तथ्य कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज अन्य उधारदाताओं की तुलना में कम औसत आकार के लोन देती हैं, यह बताता है कि वे “आर्थिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर” तक पहुंचती हैं। उदाहरण के लिए, 2020 में, पीएसीएस ने 45 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए, जिसमें प्रति कार्ड औसत बकाया बैलेंस कमर्शियल बैंकों और रीजनल रूरल बैंकों (आरआरबी) की तुलना में काफी कम था। वित्तीय समावेशन में पीएसीएस का योगदान अब ज्यादा व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है, भले ही वे बैंकों की तरह सीधे नियमों के अधीन नहीं हैं (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट)। इसके अलावा, सहकारिता सिस्टम ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट सहकारिता बैंकों (एससीसीबी) या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सहकारिता बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं और बचत उत्पाद प्रदान करता है। मार्च 2022 के एक सर्वे के अनुसार, सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (एसएचजी) को दिए गए क्रेडिट राशि का 61 प्रतिशत कमर्शियल बैंकों का है, जिसमें आरआरबी का 33 प्रतिशत और सहकारिता का 6 प्रतिशत है। जबकि 2021 में

सहकारिता और आरआरबी को दिए गए लोन में वृद्धि जारी रही, एसएचजी को कमर्शियल बैंकों द्वारा दिए गए लोन में गिरावट आई। इसका मतलब यह हो सकता है कि एसएचजी इन एजेंसियों तक कमर्शियल बैंकों की तुलना में ज्यादा आसानी से पहुँच पाए।

5.2. भौगोलिक पहुँच और खास सेवाएँ: भारत का कृषि और सामाजिक इतिहास सहकारिता से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है, और भविष्य की इतिहास लेखन को एक ज्यादा बारीकी वाला तरीका अपनाना होगा जो सामाजिक स्तरीकरण और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखे (कामेनोव, एन. 2019)। हालाँकि ग्रामीण सहकारी बैंकिंग और क्रेडिट संस्थान (आरसीबीसीआई) ग्रामीण भारत की क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ब्रिटिश नीतियों और बँटवारे ने 1947 में देश को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था के साथ छोड़ दिया था। हालाँकि आजादी के बाद से सेवाएँ और कृषि उन्नत हुई हैं, फिर भी कई क्षेत्रों में गरीबी बनी हुई है, जिसमें राजस्थान राज्य भी शामिल है। लघुवित्त जैसे वित्तीय समाधानों को लागू करने से पहले, जिसे दक्षिणी राज्यों की तुलना में राजस्थान में उतनी लोकप्रियता नहीं मिली है, राजस्थान के कृषि-जलवायु क्षेत्रों, क्षेत्रीय असमानताओं और सांस्कृतिक विविधताओं के अनूठे मिश्रण के कारण स्थानीय संदर्भ और आजीविका प्रणालियों की पूरी समझ जरूरी है (सिंह, एम. 2016)। दूरदराज के स्थानों पर जहाँ पारंपरिक बैंक अक्सर, सहकारी समितियाँ शाखाएँ खोल सकती हैं। इस भौगोलिक रूप से फैले नेटवर्क के कारण जिन लोगों को वित्तीय सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, वे उनके करीब होते हैं। सहकारी समितियों में अपने सदस्यों की खास जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सामान और सेवाओं को कस्टमाइज करने की क्षमता भी होती है। उदाहरण के लिए, वे अलग-अलग आय वाले लोगों के लिए बचत योजनाएँ या छोटी कंपनियों के लिए उपयुक्त लघुवित्त प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेशनल सहकारिता अलायंस द्वारा किए गए रिसर्च के अनुसार, दुनिया भर में 60 प्रतिशत से ज्यादा सहकारी समितियाँ लघुवित्त प्रदान करती हैं, जो हाशिए पर पड़े समुदायों की मौद्रिक जरूरतों को पूरा करने के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।

5.3. छोटे किसानों को सशक्त बनाने वाले कृषि सहकारिता: कृषि भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। भारत का कृषि क्षेत्र ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) में लगभग 18.3 प्रतिशत का योगदान देता है। यह लगभग 44 प्रतिशत वर्किंग फोर्स को रोजगार के मौके भी देता है। फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बैंड्री, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री और मिल्क मैयूफैक्चरिंग एग्रीकल्चर से जुड़े इंडस्ट्री हैं। कृषि क्षेत्र में किए गए किसी भी बदलाव से देश की इकॉनमी पर बहुत असर पड़ता है। सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, दूध, जूट और चीनीकृके लिए कच्चे माल का मुख्य स्रोत एग्रीकल्चर से आता है। गुजरात में अमूल और ओडिशा में ओमफेड जैसी कृषि सहकारिता छोटे किसानों को उनकी उपज को मार्केट के लिए एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म देकर, बिचौलियों को हटाकर और सही दाम दिलाकर मजबूत बनाती हैं। कंज्यूमर्स के साथ यह सीधा कनेक्शन उनकी इनकम बढ़ाता है, रोजी-रोटी में सुधार करता है और कृषि क्षेत्र में सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को बढ़ावा देता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) ने कृषि सहकारिता को वित्तीय मदद और गाइडेंस देने में अहम भूमिका निभाई।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस-2023 के अनुसार, इंडियन सहकारिता के कृषि डोमेन में शॉर्टटर्म सहकारी क्रेडिट स्ट्रक्चर (एसटीसीसीएस) शामिल है, जिसमें 1,03,304 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज (पीसीसीएस) और 351 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सहकारी बैंक (डीसीसीबी) शामिल हैं। लॉन्गटर्म रूरल क्रेडिट के लिए, ऑपरेशन में 14 स्टेट को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक (एससीएआरडीबी) और 533 प्राइमरी को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक (पीसीएआरडीबी) शामिल हैं। रिपोर्ट में सहकारी एंटीटीज की एक बड़ी रेंज शामिल है, जिसमें क्रेडिट एंड थ्रिप्ट सोसाइटीज, अर्बन सहकारी बैंक, डेयरी सहकारिता (1,41,807), फिशरी सहकारिता (25,649), और 26,798 प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सहकारिता शामिल हैं। लेबर सहकारी, कंज्यूमर सहकारी (21,067), और मार्केटिंग सहकारी (9,121) की अहम भूमिका है। हाउसिंग सहकारिता सेक्टर में 1,91,734 सोसाइटी हैं, जबकि 44,545 लेबर सहकारिता और 19,576 हैंडलूम टेक्सटाइल और वीवर सहकारिता सोसाइटी खास जरूरतों को पूरा करती हैं। शुगर सेक्टर में 281 सहकारिता शामिल हैं, और 22,735 प्राइमरी एगो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल सहकारिता हैं। लाइवस्टॉक सहकारिता (16,677) सहकारिता नेटवर्क में जरूरी योगदान देती हैं।

5.4. महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी कंपनियाँ जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देती हैं: महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारिता, जिसका उदाहरण भारत में सेल्फ-एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन (सेवा) है, जेंडर इक्वालिटी और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए पावरफुल टूल हैं। सेवा, ट्रेड यूनियन और सहकारी एलिमेंट्स को मिलाकर, इनफॉर्मल सेक्टर में महिलाओं को मजबूत बनाती है। यह उन्हें कलेक्टिव एक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म, वित्तीय सर्विसेज और ट्रेनिंग तक एक्सेस, और अपने प्रोडक्ट्स को एक साथ मार्केट करने का एक तरीका देती है। यह पूरा तरीका महिलाओं को कम पैसे वाले, शोषण वाले अनौपचारिक काम से ज्यादा इज्जतदार और पैसे से फायदे वाली रोजगार की ओर

बढ़ने में मदद करता है। एनसीडी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला कल्याण सहकारिता महिलाओं की भलाई को बढ़ावा देते हैं और सहकारिता सिद्धांतों के जरिए सशक्तिकरण। ये सहकारिता महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करती हैं, जिसमें शिक्षा, हेल्थकेयर, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक मदद शामिल है। इस सेक्टर में 24,261 सोसाइटी हैं जिनमें 54,21,424 सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सहकारिता (11,073) हैं, उसके बाद राजस्थान (4,218) और असम (2,885) हैं। खास तौर पर, तेलंगाना में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड सदस्य (30,96,825) हैं, उसके बाद राजस्थान (6,23,324) और असम (6,18,927) हैं।

5.5. शहरी गरीबी को दूर करने वाली शहरी सहकारी सोसाइटी: भारत की नेशनल स्लम डेवलपर्स फेडरेशन (एनएसडीएफ) जैसी शहरी सहकारी सोसाइटी मिलकर काम करके शहरी गरीबी से निपट रही हैं। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को इकट्ठा करके, एनएसडीएफ उन्हें घर, सफाई और बिजली जैसी जरूरी सेवाओं के लिए आवाज उठाने के लिए मजबूत बनाता है। यह नेटवर्क रहने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सहकारी सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है, यह पक्का करता है कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को अपने समुदायों को आकार देने और शहरी विकास में भाग लेने में बल मिले।

5.6. सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसायटी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रही हैं: सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसायटी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती हैं। वे ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में लोगों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करती हैं, और बचत, क्रेडिट और बीमा सहित कई वित्तीय सर्विस देती हैं। ये संस्थाएं पारंपरिक साहूकारों पर निर्भरता को काफी कम करती हैं और मुख्यधारा की बैंकिंग तक सीमित पहुंच वाले लोगों को सशक्त बनाती हैं। 11 फेडरेशन वाले शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) 1,502 सोसायटी में काम कर रहे हैं। खास तौर पर, महाराष्ट्र में 428 यूसीबी और 60,21,811 सदस्य हैं, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, इसके बाद कर्नाटक में 279 सोसायटी हैं जिनमें 23,35,863 सदस्य हैं, और गुजरात में 187 सोसायटी हैं जिनमें 14,91,531 सदस्य हैं। क्रेडिट एंड थ्रिप्ट सहकारिता की 79,999 सोसाइटियों में 4,32,75,731 में सदस्य हैं। तेलंगाना में सबसे ज्यादा सोसाइटियाँ (24,024) हैं, जबकि सबसे अधिक सदस्य महाराष्ट्र (2,27,27,861) में हैं।

6. वित्तीय समावेशन में आने वाली रुकावटें :

6.1. सहकारिता के सामने आने वाली चुनौतियाँ: सहकारिता के पास वित्तीय समावेशन के लिए असरदार जरिया बनने की क्षमता है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सदस्य-ओन्ड होता है और सोशल बेनिफिट पर जोर दिया जाता है। हालाँकि, रेगुलेशन के लिए एक मुश्किल इंस्टीट्यूशनल और कानूनी फ्रेमवर्क होने के बावजूद सहकारिता सेक्टर को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नेशनल सहकारिता पॉलिसी 2002 के अनुसार, सहकारिता सेक्टर में कई रुकावटें हैं जो उन्हें वित्तीय समावेशन को पूरी तरह से बढ़ावा देने से रोकती हैं।

6.2. गवर्नेंस और मैनेजमेंट की चुनौतियाँ: असरदार गवर्नेंस पक्का करना सहकारिता के लिए दोधारी तलवार है। हालाँकि लंबे समय की सफलता के लिए मजबूत लीडरशिप और प्रोफेशनल मैनेजमेंट जरूरी हैं, लेकिन काबिल लोगों को अट्रैक्ट करना और बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, खासकर छोटी सहकारिता के लिए। इसके अलावा, सदस्यों की लोकतांत्रिक भागीदारी के साथ संतुलन बनाना कुशल निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ मुश्किल साबित होती हैं। प्रभावी ढंग से काम करते हुए सदस्यों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह बने रहने के लिए सही संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

6.3. सहकारी समितियों के सदस्यों के बीच अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी: सहकारी समितियों के लिए एक बड़ी बाधा सदस्य अधिकारों के बारे में जागरूकता है। कई सदस्य, अपनी वोटिंग शक्ति या निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता से अनजान होने के कारण, भाग लेने या नेतृत्व को जवाबदेह ठहराने में हिचकिचा सकते हैं। ज्ञान की यह कमी सहकारी संरचना को कमजोर करती है और इसकी प्रभावशीलता में बाधा डालती है।

6.4. सहकारी समितियों को बड़े पैमाने पर चलाने की चुनौती: सदस्य स्वामित्व और लोकतांत्रिक नियंत्रण के मुख्य सहकारी सिद्धांतों को बनाए रखते हुए संचालन को बड़े पैमाने पर बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। सहकारी समितियों की ताकत 'लोगों का पैसा, लोगों का नियंत्रण' का सिद्धांत है, जो निर्णय लेने की शक्ति को उसके सदस्यों को वापस देता है। लेकिन सहकारी समितियों को टिकाऊ बनाने के लिए क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण निवेश और लंबे समय तक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं का हस्तक्षेप भी सहकारी समितियों को सशक्त बनाने वाले संगठनों के रूप में स्वीकार्यता में बाधा डालता है, जिससे ये संगठन सदस्य-संचालित होने के बजाय अधिक सरकार-संचालित हो जाते हैं।

6.5. वित्तीय धोखाधड़ी और कुप्रबंधन: सहकारी बैंकों में वित्तीय धोखाधड़ी और कुप्रबंधन एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जिससे कम आय वाले व्यक्तियों की बचत खतरे में पड़ जाती है जो ऐसे नुकसान को सबसे कम वहन कर सकते हैं। यह विशेष रूप से केरल जैसे राज्यों में चिंताजनक है, जहाँ 1,600 से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक हैं। यहाँ,

कुप्रबंधन के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें सौ से अधिक सोसाइटियाँ जमा राशि के पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट कर रही हैं, जो इन संस्थानों की भेद्यता को उजागर करता है।

6.6. बदलते परिदृश्य में भारतीय सहकारी समितियाँ: भारत में सहकारी समितियों ने सफलता और प्रशंसा हासिल की है, लेकिन प्रतिस्पर्धी माहौल और राजनीतिक माहौल से खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए सामाजिक चिंताओं वाले व्यावसायिक संस्थाओं के रूप में नवाचार और पुनर्स्थापना की आवश्यकता है (दुभाषी, एम. 2005)।

6.7. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि की चुनौतियाँ: सहकारी बैंक ग्रामीण भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन नियामक ओवरलैप, उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों और जमाकर्ताओं के विश्वास में कमी जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं (अग्रवाल, डी., सोनम, एम., और भूषण, डी. 2023)। सहकारी परिसंपत्तियों का निराशाजनक प्रदर्शन दो संभावनाओं से उत्पन्न हो सकता है। एक, वे ऐसे ग्राहकों को सेवा दे रहे होंगे जिनकी ऋण चुकाने की क्षमता कम है। वैकल्पिक रूप से, उधारकर्ता महामारी या अन्य बाहरी कारकों से असमान रूप से प्रभावित हुए होंगे। आखिर में, यह भी संभव है कि सहकारिता को खुद बकाया लोन वसूलने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो।

6.8. वैश्वीकृत बाजार उन्मुख परिदृश्य में चुनौतियाँ: भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अभिन्न, क्रेडिट सहकारी को वैश्वीकृत, बाजार-उन्मुख परिदृश्य में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे-जैसे विकेंद्रीकरण, कृषि औद्योगीकरण और ग्रामीण प्रवासन जैसी प्रक्रियाएँ माहौल को नया आकार दे रही हैं, इन सहकारिताओं को खुद को ढालना और नया रूप देना होगा। अपनी भूमिका और प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन करके, वे प्रासंगिक बने रह सकते हैं और कृषि विकास और ग्रामीण विकास पर अपने दूरगामी प्रभाव को जारी रख सकते हैं।

6.9. ग्राहक संबंध प्रबंधन की चुनौतियाँ: भारत में मध्यम आकार के शहरी सहकारी बैंकों में विकास और स्थिरता की क्षमता है, लेकिन अपनी ताकत का फायदा उठाने और चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और बिजनेस स्ट्रेटेजी की जरूरत है (श्रीवास्तव, डी. 2021)।

7. वित्तीय समावेशन में सहकारिता की भूमिका को चुनौतियों से निपटने और बढ़ाने की रणनीति : सहकारी सेक्टर में भारत के समान विकास में बड़ा योगदान देने की क्षमता है। आम तौर पर समावेशी विकास की गारंटी देने के लिए इसके काम को बेहतर बनाने के कई तरीके हैं। नीचे दिए गए तरीके सहकारिता को मौजूदा रुकावटों से उबरने, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार करने और वित्तीय समावेशन के लक्ष्य के लिए और ज्यादा जरूरी बनने में मदद कर सकते हैं, खासकर कम आय वाली और दूर रहने वाली आबादी के लिए;

7.1. सहकारी इकोसिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है: उनकी सफलता के लिए एक मजबूत सहकारी इकोसिस्टम को बढ़ावा देना जरूरी है। इसके लिए एक ऐसे पॉलिसी माहौल की जरूरत है जो सहकारिता की खासियतों और योगदान को माने। ऐसी पॉलिसी को उन खास चुनौतियों को हल करना चाहिए जिनका वे सामना कर रहे हैं, ताकि एक ऐसी जगह बन सके जहाँ सहकारिता आगे बढ़ सके और ज्यादा समावेशी वित्तीय माहौल में योगदान दे सके।

7.2. गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना: मजबूत गवर्नेंस एक हेल्दी सहकारिता की नींव है। गवर्नेंस सिस्टम को मजबूत करके, सहकारी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेटिक फैसले लेने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसमें निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देना, एक्टिव सदस्य की भागीदारी को बढ़ावा देना और मजबूत मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन सिस्टम बनाना शामिल है। इन कोशिशों से यह पक्का होगा कि सहकारी ईमानदारी और लंबे समय तक चलने वाली सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करते हुए सदस्य की जरूरतों के प्रति रिसपॉन्सिव बना रहे।

7.3. वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी: वित्तीय समावेशन को तेज करने के लिए, “सहकारिता-फ्रेंडली” इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा देना जरूरी है। ये इंस्टीट्यूशन, सहकारिता की खास जरूरतों को पहचानते हुए, उनके हिसाब से सॉल्यूशन दे सकते हैं: विकास को बढ़ावा देने के लिए आसान क्रेडिट फैसिलिटी, बढ़ोतरी के लिए इन्वेस्टमेंट कैपिटल, और चुनौतियों से निपटने के लिए रिस्क मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट। यह टारगेटेड सपोर्ट सहकारिता को अपने सदस्य, खासकर कम सेवा वाले समुदायों की बेहतर सेवा करने में मदद करेगा।

7.4. स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना: कैपेसिटी-बिल्डिंग और स्किल बढ़ाने में इन्वेस्ट करना सहकारिता की लंबे समय तक चलने वाली हेल्थ के लिए जरूरी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप और मेंटरशिप के मौके देकर, सहकारिता अपने मेंबर्स और मैनेजर्स को सफल होने के लिए जरूरी टेक्निकल, मैनेजेरियल और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स दे सकते हैं। इन प्रोग्राम्स में वित्तीय मैनेजमेंट, सहकारी गवर्नेंस, मार्केटिंग और वैल्यू चेन डेवलपमेंट जैसे मुख्य एरिया पर ध्यान देना चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि सहकारिता असरदार और सस्टेनेबल तरीके से काम कर सके।

7.5. पार्टनरशिप और सहयोग को बढ़ावा देना: सहकारिता, सरकारी एजेंसियों और सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन के बीच सहयोग को बढ़ावा देने से समावेशी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाने की बहुत ज्यादा संभावना है। सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ पार्टनरशिप करने से दोनों को फायदा होता है। सहकारिता को टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी एडवोकेसी मिलती है, जबकि सरकारों को सहकारिता की गहरी सामुदायिक जड़ों और सदस्य-सेंट्रिक

अप्रोच से फायदा होता है। यह मिलकर किया गया प्रयास सभी के लिए ज्यादा समावेशी और खुशहाल भविष्य का रास्ता बनाता है।

7.6. टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लागू करें: डिजिटल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाकर, सहकारिता एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और आउटरीच में बड़े सुधार ला सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, साथ में डिजिटल लिटरेसी और ई-कॉमर्स में ट्रेनिंग, मेंबर्स और स्टाफ को मजबूत बनाती है। यह, सहकारिता ऑपरेशन्स और मार्केटिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट के साथ, एक ज्यादा फुर्तीला और कनेक्टेड सहकारिता इकोसिस्टम बनाता है, जिससे वे नए कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं और मौजूदा कस्टमर्स को बेहतर सर्विस दे सकते हैं।

8. सहकारिता का विनियमन :

8.1. सेंट्रल लेवल रेगुलेशन: मल्टी-स्टेट सहकारी सोसाइटी एक्ट, 2002 मल्टी-स्टेट सहकारी सोसाइटी को कंट्रोल करता है, जो एक से ज्यादा राज्यों में काम करती हैं। यह उनके बनने, काम करने और बंद होने के प्रोसेस बताता है। जबकि मॉडल सहकारी सोसाइटी एक्ट, 1999 राज्य-लेवल सहकारिता कानून के लिए एक गाइडिंग फ्रेमवर्क का काम करता है। हालांकि यह सीधे तौर पर जरूरी नहीं है, लेकिन कई राज्यों ने अपने कानूनों में इसके सिद्धांतों को अपनाया है।

8.2. स्टेट लेवल रेगुलेशन: स्टेट सहकारी सोसाइटी एक्ट के तहत हर राज्य का अपना सहकारी सोसाइटी एक्ट होता है जो उनकी सीमाओं के अंदर काम करने वाली प्राइमरी सहकारी सोसाइटी के बनने, काम करने और बंद होने को कंट्रोल करता है। ये राज्य-लेवल के कानून डिटेल में अलग हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर सदस्यशिप की जरूरतों, कैपिटल स्ट्रक्चर, चुनाव प्रोसेस, मैनेजमेंट के तरीकों और विवाद सुलझाने के तरीकों जैसे पहलुओं पर ध्यान देते हैं।

8.3. रेगुलेटरी बॉडीज:

- I. **मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन:** सहकारिता की बहुत ज्यादा क्षमता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने 2021 में एक खास मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाकर एक बड़ा कदम उठाया। यह मिनिस्ट्री सहकारिता के लिए पॉलिसी डेवलपमेंट को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाती है। इसका मकसद सेंट्रल और स्टेट लेवल के बीच के गैप को कम करना, बेहतर कोऑर्डिनेशन और सहयोग को बढ़ावा देना है। आखिर में, यह मिनिस्ट्री पूरे देश में सहकारिता की विकास और असर को बढ़ाने के लिए समर्पित है। 6 जुलाई, 2021 को बनी यह मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर से अलग हो गई। “सहकार से समृद्धि” (सहयोग से खुशहाली) पर फोकस करते हुए, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भारत में मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, कंप्यूटराइजेशन और पूरे सहकारिता इकोसिस्टम को मजबूत करने को प्राथमिकता देती है।
- II. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 1958 ने ग्रामीण बदलाव के लिए सहकारिता सोसाइटियों का विकास।
- III. नेशनल सहकारिता डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वित्तीय मामलों के लिए एक सेंट्रल एजेंसी है। यह अलग-अलग एग्री प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग के प्रमोशन और प्लानिंग के लिए पॉलिसी बनाता है। यह मुख्य रूप से सहकारिता एंटरप्राइजेज की फाइनेंसिंग में शामिल है।
- IV. **सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ सहकारी सोसाइटी:** यह ऑफिस, सहकारिता मिनिस्ट्री के तहत, मल्टी-स्टेट सहकारी सोसाइटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की देखरेख करता है और मल्टी-स्टेट सहकारिता का नेशनल-लेवल डेटाबेस मेंटेन करता है।
- V. **स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सहकारी सोसाइटी:** हर राज्य अपने-अपने सहकारी सोसाइटी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की देखरेख करने और राज्य के अंदर प्राइमरी सहकारिता के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है।

8.4. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया : भारतीय रिजर्व बैंक कुछ सहकारी बैंकों, खासकर अर्बन सहकारी बैंकों को रेगुलेट करता है। यह उनके कामकाज के लिए समझदारी भरे नियम तय करता है, जिससे वित्तीय स्थिरता और कंज्यूमर की सुरक्षा पक्की होती है। तालमेल सुधारने, कमियों को दूर करने और एक बेहतर माहौल बनाने की चल रही कोशिशें भारत में सहकारी सेक्टर की भविष्य की विकास और सफलता के लिए बहुत जरूरी होंगी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए ऑटोनॉमी और जवाबदेही के बीच बैलेंस बनाना एक अहम मकसद बना हुआ है। भारत में सहकारी सेक्टर और सबको साथ लेकर चलने की विकास पर खास नतीजे इस रिसर्च में भारत में सबको साथ लेकर चलने और बराबर विकास में सहकारी सेक्टर के योगदान की क्षमता की जांच की गई। हमारे इस स्टडी के खास नतीजे ये हैं।

9. सबको साथ लेकर चलने की राह: स्टडी में सहकारिता को पॉजिटिव बदलाव के लिए एक बड़ी ताकत के तौर पर पहचाना गया। वित्तीय प्रोडक्ट और मार्केट जैसी जरूरी सर्विस तक पहुंच देकर, सहकारिता कम सुविधा वाले

समुदायों को ताकतवर बनाती हैं। वे इनकम बढ़ाने के मौके बनाती हैं और बिजनेस की पहल को बढ़ावा देती हैं, जिससे लोग और समुदाय आत्मनिर्भरता की राह पर चलते हैं। इसके अलावा, सहकारिता का सदस्य-ओन्ड स्ट्रक्चर स्वाभाविक रूप से पैसे के सही बंटवारे को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक-आर्थिक असमानता कम होती है।

10. चुनौतियाँ जिनका समाधान करना है: अपनी क्षमता के बावजूद, सहकारिता कई चुनौतियों का सामना करते हैं जो उनके पूरे असर में रुकावट डालती हैं। कमजोर गवर्नेंस के तरीके, जैसे ट्रांसपेरेंसी की कमी या सदस्य की भागीदारी, इनएफिशिएंसी ला सकते हैं और असर में रुकावट डाल सकते हैं। कैपिटल और वित्तीय रिसोर्स तक सीमित पहुँच उनकी विकास और जरूरी सर्विस देने की क्षमता को रोक सकती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पहुँच में और रुकावट डाल सकती है। मौजूदा सामाजिक असमानताएँ कुछ ग्रुप के लिए भागीदारी में रुकावटें पैदा करती हैं, और सदस्य और लीडर के बीच टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल की कमी उनके ऑपरेशन की एफिशिएंसी को सीमित कर सकती है।

11. बेहतर असर के लिए स्ट्रेटेजी: रिसर्च कई स्ट्रेटेजी पर रोशनी डालती है जो पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकती हैं। ऐसी नीतियों के माध्यम से एक सहायक इकोसिस्टम बनाना जो सहकारी समितियों की खास चुनौतियों का समाधान करे और विकास को बढ़ावा दे, बहुत जरूरी है। पारदर्शी और जवाबदेह प्रथाओं को लागू करके शासन को मजबूत करना, निर्णय लेने में सदस्यों की भागीदारी को बढ़ावा देना, और मजबूत नेतृत्व का निर्माण करना आवश्यक है। वंचित समुदायों के लिए विशेष उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन का विस्तार करना, साथ ही क्रेडिट और निवेश के अवसरों तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना, उन्हें और सशक्त बना सकता है। प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण पहलों में निवेश करने से सदस्यों और प्रबंधकों को सफल सहकारी संचालन के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त होंगे। अंत में, सहकारी समितियों, सरकारी एजेंसियों और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने से उन्हें व्यापक प्रभाव के लिए विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है, जिससे सभी के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत भविष्य का निर्माण होता है।

निष्कर्ष : भारत में सहकारी समितियाँ वित्तीय समावेशन के लिए एक शक्तिशाली तंत्र के रूप में उभरी हैं, जो पारंपरिक वित्तीय संस्थानों द्वारा छोड़े गए अंतर को पाट रही हैं। समुदाय-संचालित पहलों पर ध्यान केंद्रित करके, वे समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों, जिसमें किसान, महिलाएँ और शहरी गरीब शामिल हैं, को सशक्त बनाती हैं, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, शासन संबंधी मुद्दे, वित्तीय कुप्रबंधन और सीमित संसाधनों जैसी चुनौतियाँ उनकी पूरी क्षमता को बाधित करती हैं। उनके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए, एक मजबूत नीतिगत ढाँचा, क्षमता-निर्माण कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुँच आवश्यक है। सहकारी समितियों, सरकारों और निजी संस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने से उनकी पहुँच और प्रभावशीलता बढ़ सकती है। भविष्य के शोध को नवीन सहकारी मॉडल, तुलनात्मक विश्लेषण और समावेशी विकास के लिए रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की मात्रा निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

संदर्भ:

- चिन्मय नायडू। (2025), भारत में वित्तीय समावेशन की गतिशीलता। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज, 11(6), 6–14। <https://doi-org/10-35940/ijmh-D1766-1106022>
- गुप्ता, वी., और शर्मा, पी. के. (2024)। उत्तरी भारत के चयनित क्षेत्रों में सहकारी समितियों द्वारा वित्तीय समावेशन पहल। मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन। DOI: 10-4018/979&8&3693&6750&6-ch019
- अग्रवाल, डी., सोनम, एम., और भूषण, डी. (2023)। सहकारी समितियाँ: ग्रामीण भारत के लिए एकमात्र आशा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। <https://doi-org/10-55041/ijrsrem25602>
- Eseza, N. & Nyakundi. A. (2023). सहकारी समितियों के वैश्विक विकास, लाभ, चुनौतियों और प्रदर्शन पर एक ऐतिहासिक समीक्षा। IDOSR जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। <https://doi-org/10-59298/idosr/2023/12-1-3894>.
- श्रीवास्तव, डी. (2021), मध्यम आकार के शहरी सहकारी बैंकों में ग्राहक संबंध प्रबंधन और व्यावसायिक रणनीति: दृष्टिकोण, अवसर और चुनौतियाँ। बैंकिंग और बीमा ई-जर्नल। लाल, टी. (2019). सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण विकास पर वित्तीय समावेशन के प्रभाव को मापना। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स। <https://doi-org/10-1108/IJSE&02&2018&0057>.
- कामेनोव, एन. (2019). भारत के कृषि इतिहास में "सहकारी" का स्थान, लगभग 1900–1970। द जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज। <https://doi-org/10-1017/s002191181900055>
- जेम्स, पी. (2017). वित्तीय समावेशन में सहकारी बैंकों की भूमिका: सुधार के बाद की अवधि में एक अध्ययन। IOSR जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, 22, 01–03. <https://doi-org/10-9790/0837&2206040103>

8. वोइका, एम. (2017). सतत विकास के लिए एक उपकरण के रूप में वित्तीय समावेशन। द रोमानियाई जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, 44, 121–129.
9. सिंह, एम. (2016). ग्रामीण राजस्थान के विकास के तहत सहकारी संस्थानों की भूमिका। इंटरनेशनल एजुकेशन एंड रिसर्च जर्नल, 2
10. टो, जे., और गंगाधरन, के. (2016). वित्तीय समावेशन और समावेशी विकास: भारत में शहरी सहकारी बैंकिंग पर परिप्रेक्ष्य। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च, 2, 915–919
11. कपूर, ए. (2014). वित्तीय समावेशन और भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य। फ्यूचर्स, 56, 35–42 <https://doi-org/10-1016/J-FUTURES-2013-10-007>
12. लक्ष्मी, पी., और विशालाक्षी, एस. (2013). वित्तीय समावेशन और व्यापक विकास में सहकारी समितियों का प्रभाव। जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, 1, 49–53. <https://doi-org/10.12691/JFE&1&3&4>
13. त्रिपाठी, एस. (2013). क्या भारत में शहरी आर्थिक विकास समावेशी है? मार्जिन: द जर्नल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, 7, 507 –539.
14. जर्नल्स, आई., और पात्रा, एम. (2013). सहकारी समितियाँ, कृषि और ग्रामीण विकास: भूमिका, मुद्दे और नीतिगत निहितार्थ। IOSR जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, 13, 14–25. <https://doi.org/10.6084/M9-FIGSHARE-1271351>
15. सिद्धाराजू, वी. (2012). भारत में सहकारी समितियाँ और वित्तीय समावेशन: मुद्दे और चुनौतियाँ 7, 46–54. <https://doi-org/10-5897/INGOJ12-008>.
16. मोहिते, वी. (2008). सहकारी समितियों के माध्यम से वित्तीय समावेशन—वंचितों की सेवा करने का एक गलियारा। इंस्टीट्यूशनल एंड ट्रांजिशन इकोनॉमिक्स पॉलिसी पेपर सीरीज। <https://doi.org/10.2139/ssrn-1710470>

आलेख उद्धरित करें :	कुमार, डॉ. मुकेश एवं सिंह, पवन कुमार (2026)। भारत में वित्तीय समावेशन में सहकारी समितियों की भूमिका का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम-2, अंक-1, जनवरी-मार्च, 2026, पृष्ठ 22–31। https://doi.org/10.5281/zenodo.21624757
--------------------------------	---